संख्या-1-सात-बी/XXXVI(1)/2006-1-सात-बी/02

प्रेषक,

यू०सी०ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 13 फरवरी, 2006

विषय :जिला हरिद्वार की तहसील लक्सर में स्थापित सिविल जज(जू.डि.) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनोदश संख्या 11-सात-बी/न्या.अनु./2004, दिनांक 16.10.2004 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या 3-सात-बी/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005, दिनांक 1.4.2005 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल जिला हरिद्वार की तहसील लक्सर में स्थापित सिविल जज(जू.डि.) के न्यायालय हेतु सृजित सभी अस्थायी पदों के कार्यकाल की वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों पर यदि वे बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए दिनांक 1.3.2006 से 28.2.2007 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2. उक्त पैरा-1 पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-2007 के बजट में अनुदान संख्या-04 के लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03- जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00" के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(यू०सी०ध्यानी)
सचिव ।

संख्या-1-सात-बी/XXXVI(1)/2006-1-सात-बी/02-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) उत्तराचंल, माजरा, देहरादून ।
2. जिला जज/जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी हरिद्वार ।
3. न्यायाधीश, सिविल जज(जूनियर डिविजन), लक्सर ।
4. वित्त अनुभाग-5/नियुक्ति अनुभाग/एन.आई.सी./गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव ।